



## निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी बाल अधिकार कानून से पूर्व तथा पश्चात् की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन

सुरेन्द्र  
शोध छात्र  
बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय  
रोहतक (हरियाणा)

डॉ० सुशीला शर्मा  
शोध पर्यवेक्षक  
सहायक प्राध्यापिका, शिक्षा विभाग  
बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय  
रोहतक (हरियाणा)

### सारांश

प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से शिक्षा की महत्ता को किसी भी रूप में नकारा नहीं जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है। भारतीय संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है। इसके अनुसार केन्द्र और राज्य दोनों ही अपनी-अपनी नीतियां और विधियां निर्धारित कर सकती हैं। इसके पूर्व यह अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत शामिल था, जिसे राज्य सरकार क्रियान्वित करने हेतु बाध्य नहीं थी, किन्तु अब इसे अनुच्छेद 2 और 3 में शामिल कर मूल अधिकार की श्रेणी में लाया गया है। भारत सरकार ने सन् 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी बाल अधिकार कानून को पूरे देश में लागू किया। इसी को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता ने शिक्षा अधिकार कानून के लागू होने से पूर्व तथा पश्चात् की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया। तद्द्वारा शोधकर्ता ने प्रदत्त संकलन हेतु 20 विद्यालयों का चयन किया। तत्पश्चात् उक्त 20 विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया के आधार पर अध्ययन किया। प्रदत्तों के विश्लेषण से मिले-जुले परिणाम प्राप्त हुए। कहीं भी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रभावी होने से पहले एवं बाद की स्थिति में नामांकन प्रक्रिया में कोई विशेष अन्तर नहीं दिखायी दिया और कहीं पर नामांकन प्रक्रिया में अन्तर दिखायी दिया।

**मुख्य शब्दः**— निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, बाल अधिकार, कानून, पूर्व तथा पश्चात्

### प्रस्तावनाः—

प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्व है। शिक्षा को जीवन का आधार माना गया है, अर्थात् शिक्षा ही जीवन है। किसी भी देश के आधुनिक या विकसित होने का प्रभाव उस देश के नागरिकों के शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है। मानव सभी जीवों और प्राणियों में इसलिए श्रेष्ठ है, क्योंकि वह शिक्षित है, उन्हें जीवन में सही प्रकार से जीने की शिक्षा प्राप्त है। आधुनिक समय में शिक्षा को ही किसी राष्ट्र या समाज की प्रगति का सूचक समझा जाता है।

21वीं सदी प्रतिस्पर्धा का युग है। संविधान निर्मित हुए दशकों बीत चुके हैं। संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है। मानव अधिकार एवं शिक्षा एक-दूसरे के पूरक हैं। भारतीय संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है। इसके अनुसार शिक्षा के सम्बन्ध में केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों ही अपनी-अपनी नीतियां एवं विधियां निर्धारित कर सकती हैं। इसके पूर्व यह अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत शामिल था जिसे राज्य सरकार क्रियान्वयन करने हेतु बाध्य नहीं थी, किन्तु अब इसे अनुच्छेद 2 और 3 में शामिल कर मूल अधिकार की श्रेणी में लाया गया है। 86वां संशोधन, अधिनियम 2002 के भाग 3 में एक नई



धारा 21-क को जोड़कर 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाने की बात कही गयी।

भारत सरकार ने सन् 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी बाल अधिकार कानून को पूरे देश में लागू किया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ।

### शिक्षा अधिकार अधिनियम की विशिष्टताएँ:-

1. यह केवल 6 से 14 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं पर लागू होगा।
2. यह नियम कक्षा-1 से कक्षा-8 तक की सभी सरकारी तथा गैर-सरकारी विद्यालयों पर लागू होता है।
3. इस नियम के तहत सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों में 25 प्रतिशत सीटें (एस०टी०/एस०सी०/ओ०बी०सी०/बी०पी०एल० कार्ड) के छात्रों के लिए आरक्षित होगी।
4. गुणवत्ता की दृष्टि से 40 छात्रों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है।
  - गैर प्रशिक्षित अध्यापकों का 5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रशिक्षण अनिवार्य करना होगा।
  - RTE Act के मानकानुसार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों हेतु 30 छात्रों पर एक (30 प्रतिशत) शिक्षक होना अनिवार्य है तथा कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों हेतु 35 छात्रों पर एक (35 प्रतिशत) शिक्षक होना अनिवार्य है। राज्य सरकार की नीति के अनुसार 40 विद्यार्थियों पर एक (40 प्रतिशत) अध्यापक होना अनिवार्य है।
  - RTE Ac के अन्तर्गत कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की कक्षाओं में कम से कम एक विज्ञान, गणित तथा एक सामाजिक अध्ययन व एक भाषा का शिक्षक होना चाहिए।
  - जहां पर 100 से अधिक बालक-बालिकाएँ हो वहां पर एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक होना चाहिए तथापि अंशकालीन शिक्षक जिसमें एक कला शिक्षक एवं एक स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षक तथा एक पूर्ण कार्य करने वाला कार्यपालक अध्यापक होना चाहिए।
  - RTE Act के अन्तर्गत कक्षा 1 से कक्षा 5 तक 200 दिन कार्य दिवस होगा तथा कक्षा 6 से कक्षा 8 तक 220 दिन कार्य दिवस होगा।

### अध्ययन के उद्देश्य:-

1. अध्ययन का प्रथम उद्देश्य हरियाणा राज्य में नामांकन के आधार पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा क प्रभावी होने से पहले की स्थिति का अध्ययन तथा विश्लेषण करना।
2. प्रस्तुत अध्ययन का दूसरा उद्देश्य हरियाणा राज्य में नामांकन क आधार पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रभावी होने के बाद से लेकर वर्तमान तक की स्थिति का अध्ययन तथा विश्लेषण करना।



3. प्रदत्त संग्रह— प्रदत्त संकलन हेतु शोधकर्ता द्वारा 20 विद्यालयों का चयन किया तत्पश्चात् उक्त 20 विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया अध्ययन किया।

**प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या:—**

1. प्रस्तुत अध्ययन का प्रथम उद्देश्य हरियाणा राज्य में नामांकन के आधार पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रभावी होने से पहले की स्थिति का अध्ययन एवं विश्लेषण करना प्रस्तावित था। संकलित प्रदत्तों का सांख्यिकीय विश्लेषण विविध सारणियों में प्रस्तुत है। इसके साथ ही साथ प्रस्तुत दोनों उद्देश्यों का सांख्यिकीय विश्लेषण शोधकर्ता द्वारा संयुक्त रूप में किया गया है।

**तालिका-1**

**G M S SANJARWAS प्राथमिक/माध्यमिक सरकारी स्कूल के सभी श्रेणी के लड़के/लड़कियों की गणनाओं का प्रतिशत**

Years /category	Gen			SC			BC			Total		Grand
	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
<b>शिक्षा का अधिकार (अधिनियम, 2009) से पहले की स्थिति</b>												
2006-2007	48	0	48	33	0	33	31	0	31	112	0	112
2007-2008	38	0	38	34	0	34	21	0	21	93	0	93
2008-2009	40	0	40	32	0	32	27	0	27	99	0	99
2009-2010	42	0	42	20	0	20	16	0	16	78	0	78
Mean Score	42	0	42	29.75	0	29.75	23.75	0	23.75	95.5	0	95.5
<b>शिक्षा का अधिकार (अधिनियम, 2009) से बाद की स्थिति</b>												
2010-2011	39	0	39	34	0	34	18	0	18	91	0	91
2011-2012	45	0	45	38	0	38	20	0	20	103	0	103
2012-2013	46	0	46	35	0	35	24	0	24	105	0	105
2013-2014	46	0	46	24	0	24	25	0	25	95	0	95
2014-2015	34	0	34	30	0	30	30	0	30	94	0	94
2015-2016	35	0	35	23	0	23	28	0	28	86	0	86
2016-2017	38	0	38	33	0	33	28	0	28	99	0	99
2017-2018	42	0	42	30	0	30	22	0	22	89	0	89
2018-2019	22	0	22	24	0	24	27	0	27	73	0	73
2019-2020	25	0	25	22	0	22	19	0	19	66	0	66
Mean Score	37.2	0	37.2	29.3	0	29.3	24.1	0	24.1	90.1	0	90.1

**तालिका-2**

**G M S SANJARWAS प्राथमिक/माध्यमिक सरकारी स्कूल के सभी श्रेणी के लड़के/लड़कियों की गणनाओं का मध्यमान, मानक विचलन एवं 'टी' मान**




अधिनियम से पहले		अधिनियम के बाद		सांख्यिकी मूल्य		
मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमान	मानक विचलन	'टी' मान	साथर्कता स्तर	
नामांकन संख्या	95.50	14.10	90.10	12.46	0.760	असार्थक

0.01 तालिका मूल्य 2.58, 0.05 तालिका मूल्य 1.96

Name of School :- G M S SANJARWAS

ग्राफ-1



जब हम शिक्षा का अधिकार (अधिनियम 2009) तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रभावी होने से पहले एवं बाद की स्थिति की तुलना करते हैं तो यह प्रतीत होता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रभावी होने से पहले की स्थिति में नामांकन प्रक्रिया का कुल माध्य 95.5 एवं बाद की स्थिति का कुल माध्य 90.1 था तथा 'टी' मान 0.760 था, जोकि किसी भी स्तर पर सार्थक नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रभावी होने से पहले एवं बाद की स्थिति में G M S SANJARWAS प्राथमिक/माध्यमिक सरकारी स्कूल की नामांकन प्रक्रिया में कोई विशेष अन्तर नहीं दिखाई दिया बल्कि अधिनियम के बाद की स्थिति में नामांकन प्रक्रिया में थोड़ी कमी ही देखी गई।

तालिका-3

G M S SANJARWAS प्राथमिक/माध्यमिक सरकारी स्कूल के सभी श्रेणी के लड़के/लड़कियों की गणनाओं का प्रतिशत



Years /category	Gen			SC			BC			Total			Grand
	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	
शिक्षा का अधिकार (अधिनियम, 2009) से पहले की स्थिति													
2006-2007	0	22	22	0	32	32	0	48	48	0	102	102	
2007-2008	0	27	27	0	25	25	0	46	46	0	98	98	
2008-2009	0	26	26	0	34	34	0	48	48	0	108	108	
2009-2010	0	22	22	0	27	27	0	54	54	0	103	103	
Mean Score	0	24.2	24.2	0	29.5	29.5	0	49	49	0	102.7	102.75	
शिक्षा का अधिकार (अधिनियम, 2009) से बाद की स्थिति													
2010-2011	0	20	20	0	29	29	0	56	56	0	103	103	
2011-2012	0	23	23	0	20	20	0	27	27	0	70	70	
2012-2013	0	19	19	0	23	23	0	52	52	0	94	94	
2013-2014	0	12	12	0	28	28	0	52	52	0	92	92	
2014-2015	0	17	17	0	47	47	0	42	42	0	106	106	
2015-2016	0	8	8	0	37	37	0	41	41	0	86	86	
2016-2017	0	8	8	0	23	23	0	36	36	0	67	67	
2017-2018	0	8	8	0	26	26	0	38	38	0	72	72	
2018-2019	0	9	9	0	25	25	0	25	25	0	59	59	
2019-2020	0	5	5	0	23	23	0	18	18	0	46	46	
Mean Score	0	12.9	12.9	0	28.1	28.1	0	38.7	38.7	0	79.5	79.5	

#### तालिका-4


GSSS ACHINA प्राथमिक/माध्यमिक सरकारी स्कूल के सभी श्रेणी के लड़के/लड़कियों की गणनाओं का मध्यमान, मानक विचलन एवं 'टी' मान

अधिनियम से पहले			अधिनियम के बाद		सांख्यिकी मूल्य	
मध्यमान	मानक विचलन		मध्यमान	मानक विचलन	'टी' मान	सार्थकता स्तर
नामांकन संख्या	63.50	35.85	31.40	10.28	2.710	सार्थक

0.01 तालिका मूल्य 2.58, 0.05 तालिका मूल्य 1.96

Name of School :- GSSS ACHINA

#### ग्राफ-2



जब हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रभावी होने से पहले एवं बाद की स्थिति की तुलना करते हैं तो ये प्रतीत होता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रभावी होने से पहले की स्थिति में नामांकन प्रक्रिया का कुल माध्य 63.50 एवं बाद की स्थिति का कुल माध्य 35.85 था तथा 'टी' मान 2.710 था, जोकि 0.01 स्तर पर सार्थक है। इससे यह सिद्ध होता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रभावी होने से पहले एवं बाद की स्थिति में GSSS ACHINA प्राथमिक/माध्यमिक सरकारी स्कूल की नामांकन प्रक्रिया में सार्थक अन्तर दिखाई दिया बल्कि अधिनियम के बाद नामांकन प्रक्रिया में बहुत अधिक कमी देखी गई।

### तालिका-5

#### G P S SANJARWAS प्राथमिक/माध्यमिक सरकारी स्कूल के सभी श्रेणी के लड़के/लड़कियों की गणनाओं का प्रतिशत

Years /category	Gen			SC			BC			Total		Grand Total
	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	
शिक्षा का अधिकार (अधिनियम, 2009) से पहले की स्थिति												
2006-2007	64	0	64	45	0	45	45	0	45	154	0	154



2007-2008	46	0	46	62	0	62	28	0	28	136	0	136
2008-2009	45	0	45	58	0	58	30	0	30	133	0	133
2009-2010	60	0	60	52	0	52	36	0	36	131	0	131
Mean Score	53.7	0	53.7	54.2	0	54.2	34.7	0	34.7	138.5	0	138.5
<b>शिक्षा का अधिकार (अधिनियम, 2009) से बाद की स्थिति</b>												
2010-2011	58	0	58	46	0	46	40	0	40	144	0	144
2011-2012	71	0	71	43	0	43	55	0	55	134	0	134
2012-2013	48	0	48	35	0	35	64	0	64	147	0	147
2013-2014	34	0	34	44	0	44	52	0	52	130	0	130
2014-2015	46	0	46	43	0	43	41	0	41	130	0	130
2015-2016	34	0	34	50	0	50	31	0	31	115	0	115
2016-2017	31	0	31	43	0	43	26	0	26	100	0	100
2017-2018	29	0	29	42	0	42	28	0	28	99	0	99
2018-2019	20	0	20	34	0	34	19	0	19	73	0	73
2019-2020	18	0	18	35	0	35	20	0	20	73	0	73
Mean Score	38.9	0	38.9	41.5	0	41.5	37.6	0	37.6	110.9	0	114.5

#### तालिका-6


GPS ACHINA प्राथमिक/माध्यमिक सरकारी स्कूल के सभी श्रेणी के लड़के/लड़कियों की गणनाओं का मध्यमान, मानक विचलन एवं 'टी' मान

अधिनियम से पहले		अधिनियम के बाद		सांख्यिकी मूल्य		
मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमान	मानक विचलन	'टी' मान	साथर्कता स्तर	
नामांकन संख्या	138.50	10.53	114.50	27.24	1.678	असार्थक

0.01 तालिका मूल्य 2.58, 0.05 तालिका मूल्य 1.96

Name of School :- GPS SANJARWAS

#### ग्राफ-3



जब हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रभावी होने से पहले एवं बाद की स्थिति का तुलना करते हैं तो यह प्रतीत होता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रभावी होने से पहले की स्थिति में नामांकन प्रक्रिया का कुल माध्य 138.50 एवं बाद की स्थिति का कुल मध्य 114.50 था तथा 'टी' मान 1.678 था, जोकि किसी भी स्तर पर सार्थक अन्तर नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रभावी होने से पहले एवं बाद की स्थिति में GPS SANJARWAS प्राथमिक/माध्यमिक सरकारी स्कूल की नामांकन प्रक्रिया में सार्थक अन्तर दिखाई नहीं दिया, जबकि अधिनियम के बाद की स्थिति में नामांकन प्रक्रिया में कमी दर्ज की गई।

#### तालिका-7

#### G P S BASS RANILA प्राथमिक/माध्यमिक सरकारी स्कूल के सभी श्रेणी के लड़के/लड़कियों की गणनाओं का प्रतिशत

Years/Category	Gen			SC			BC			Total		Grand Total
	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	
<b>शिक्षा का अधिकार (अधिनियम, 2009) से पहले की स्थिति</b>												
2006-2007	26	38	64	26	29	55	11	5	16	63	72	135
2007-2008	26	37	63	18	28	46	13	5	18	57	70	127
2008-2009	28	35	63	26	22	48	9	3	12	63	60	123
2009-2010	29	40	69	20	25	45	7	6	13	56	71	127
Mean Score	27.2	37.5	64.7	22.5	26	48.5	10	4.7	14.7	59.7	68.2	128
<b>शिक्षा का अधिकार (अधिनियम, 2009) से बाद की स्थिति</b>												
2010-2011	20	35	55	19	26	45	2	8	10	41	69	110





2011-2012	15	27	42	23	25	48	7	9	16	45	61	106
2012-2013	15	26	41	27	25	52	6	9	15	48	60	108
2013-2014	15	33	48	32	31	63	6	8	14	53	72	125
2014-2015	15	27	44	34	34	68	5	7	12	56	68	124
2015-2016	21	31	52	34	35	69	4	3	7	59	69	128
2016-2017	20	30	50	31	35	66	5	5	10	56	70	126
2017-2018	21	28	49	25	35	66	4	4	8	50	63	113
2018-2019	20	19	39	25	33	58	4	5	9	49	57	106
2019-2020	16	17	33	30	40	70	5	6	11	51	63	114
<b>Mean Score</b>	<b>17.8</b>	<b>27.3</b>	<b>45.3</b>	<b>28</b>	<b>31.9</b>	<b>60.5</b>	<b>4.8</b>	<b>6.4</b>	<b>11.2</b>	<b>50.8</b>	<b>65.2</b>	<b>116</b>

तालिका-8


GPS BASS RANILA प्राथमिक/माध्यमिक सरकारी स्कूल के सभी श्रेणी के लड़के/लड़कियों की गणनाओं का मध्यमान, मानक विचलन एवं 'टी' मान

अधिनियम से पहले		अधिनियम के बाद		सांख्यिकी मूल्य		
मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमान	मानक विचलन	'टी' मान	साथकता स्तर	
नामांकन संख्या	128.00	5.03	116.00	8.83	2.519	साथक

0.01 तालिका मूल्य 2.58, 0.05 तालिका मूल्य 1.96

Name of School :- GPS BASS RANILA

ग्राफ-4



जब हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रभावी होने से पहले एवं बाद की स्थिति की तुलना करते हैं तो यह प्रतीत होता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रभावी होने से पहले की स्थिति में नामांकन प्रक्रिया का कुल माध्य 128 एवं बाद की स्थिति का कुल मध्य 116 था तथा



‘टी’ मान 2.519 था, जोकि 0.05 के स्तर पर सार्थक है। इससे यह सिद्ध होता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रभावी होने से पहले एवं बाद की स्थिति में GP BASS RANILA प्राथमिक/माध्यमिक सरकारी स्कूल की नामांकन प्रक्रिया में सार्थक अन्तर पाया गया। इससे सिद्ध होता है कि अधिनियम के बाद की स्थिति में नामांकन प्रक्रिया में अधिक कमी दर्ज की गई।

तालिका-9

GSSS JAHANGIRPUR प्राथमिक/माध्यमिक सरकारी स्कूल के सभी श्रेणी के लड़के/लड़कियों की गणनाओं का प्रतिशत

Years/Category	Gen			SC			BC			Total		Grand Total
	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	
शिक्षा का अधिकार (अधिनियम, 2009) से पहले की स्थिति												
2006-2007	7	0	7	22	0	22	13	0	13	42	0	42
2007-2008	7	0	7	19	0	19	19	0	19	45	0	45
2008-2009	5	0	5	25	0	25	24	0	24	54	0	54
2009-2010	3	0	3	24	0	24	29	0	29	56	0	56
Mean Score	5.5	0	5.5	22.5	0	22.5	21.2	0	21.2	49.2	0	49.2
शिक्षा का अधिकार (अधिनियम, 2009) से बाद की स्थिति												
2010-2011	3	0	3	21	0	21	29	0	29	53	0	53
2011-2012	5	0	5	21	0	21	23	0	23	49	0	49
2012-2013	14	0	14	20	0	20	24	0	24	58	0	58
2013-2014	10	0	10	21	0	21	22	0	22	53	0	53
2014-2015	10	0	10	23	0	23	27	0	27	60	0	60
2015-2016	9	0	9	20	0	20	24	0	24	53	0	53
2016-2017	8	0	8	21	0	21	22	0	22	51	0	51
2017-2018	8	0	8	22	0	22	19	0	19	49	0	49
2018-2019	6	0	6	20	0	20	21	0	21	47	0	47
2019-2020	3	0	3	16	0	16	22	0	22	41	0	41
Mean Score	7.6	0	7.6	20.5	0	20.5	23.3	0	23.3	51.4	0	51.4

तालिका-10

GSSS JAHANGIRPUR प्राथमिक/माध्यमिक सरकारी स्कूल के सभी श्रेणी के लड़के/लड़कियों की गणनाओं का मध्यमान, मानक विचलन एवं ‘टी’ मान

अधिनियम से पहले		अधिनियम के बाद		सांख्यिकी मूल्य	
मध्यमान	मानक	मध्यमान	मानक	‘टी’ मान	सार्थकता




		विचलन		विचलन		स्तर
नामांकन संख्या	49.25	6.80	51.40	5.42	0.627	असार्थक

0.01 तालिका मूल्य 2.58, 0.05 तालिका मूल्य 1.96

Name of School :- GSSS JAHANGIRPUR

ग्राफ-5



जब हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रभावी होने से पहले एवं बाद की स्थिति की तुलना करते हैं तो यह प्रतीत होता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रभावी होने से पहले की स्थिति में नामांकन प्रक्रिया का कुल माध्य 49.25 एवं बाद की स्थिति का कुल माध्य 51.40 था तथा 'टी' मान 0.627 था, जोकि किसी भी स्तर पर सार्थक नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रभावी होने से पहले एवं बाद की स्थिति में (GSSS JAHANGIRPUR) प्राथमिक/माध्यमिक सरकारी स्कूल की नामांकन प्रक्रिया में कोई सार्थक अन्तर नहीं है, जबकि अधिनियम के बाद की स्थिति में नामांकन प्रक्रिया में कुछ तेजी दर्ज की गई।

तालिका-11

GGPS LOHARWARA प्राथमिक/माध्यमिक सरकारी स्कूल के सभी श्रेणी के लड़के/लड़कियों की गणनाओं का प्रतिशत

Years/Category	Gen			SC			BC			Total		Grand Total
	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	
शिक्षा का अधिकार (अधिनियम, 2009) से पहले की स्थिति												
2006-2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007-2008	5	39	44	2	57	59	6	51	57	13	147	160
2008-2009	4	54	58	0	57	57	5	47	52	9	159	168
2009-2010	17	64	81	1	56	57	5	35	40	23	159	182



Mean Score	6.5	39.2	45.7	0.7	42.5	43.2	4	33.2	37.2	11.2	116.2	127.5
शिक्षा का अधिकार (अधिनियम, 2009) से बाद की स्थिति												
2010-2011	9	66	75	3	53	56	2	32	34	14	151	165
2011-2012	4	50	54	5	45	50	10	28	35	19	123	142
2012-2013	1	23	24	9	48	57	1	12	13	12	82	94
2013-2014	3	14	17	9	41	50	0	8	8	12	63	75
2014-2015	7	22	29	14	36	50	4	8	12	25	66	91
2015-2016	8	19	27	15	32	47	2	5	7	25	56	81
2016-2017	4	16	20	12	27	39	2	5	7	18	48	66
2017-2018	1	3	4	1	8	9	0	2	2	16	35	51
2018-2019	1	4	5	9	15	24	3	2	5	13	21	34
2019-2020	1	3	4	6	9	15	3	1	4	10	13	23
<b>Mean Score</b>	<b>3.9</b>	<b>22</b>	<b>25.9</b>	<b>8.3</b>	<b>31.4</b>	<b>39.7</b>	<b>2.7</b>	<b>10.3</b>	<b>12.7</b>	<b>16.4</b>	<b>65.8</b>	<b>82.2</b>

तालिका-12


GGPS LOHARWARA प्राथमिक/माध्यमिक सरकारी स्कूल के सभी श्रेणी के लड़के/लड़कियों की गणनाओं का मध्यमान, मानक विचलन एवं 'टी' मान

अधिनियम से पहले		अधिनियम के बाद		सांख्यिकी मूल्य		
मध्यमान		मानक विचलन	मध्यमान	मानक विचलन	'टी' मान	साथकता स्तर
नामांकन संख्या	127.50	85.48	82.20	44.42	1.331	असार्थक

0.01 तालिका मूल्य 2.58, 0.05 तालिका मूल्य 1.96

Name of School :- GGPS LOHARWARA

ग्राफ-5



जब हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रभावी होने से पहले एवं बाद की स्थिति की तुलना करते हैं तो यह प्रतीत होता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रभावी होने से पहले की स्थिति में नामांकन प्रक्रिया का कुल माध्य 127.50 एवं बाद की स्थिति का कुल माध्य 62.20 था तथा 'टी' मान 1.131 था जोकि किसी भी स्तर पर सार्थक नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रभावी होने से पहले एवं बाद की स्थिति में GGPS LOHARWARA प्राथमिक/माध्यमिक सरकारी स्कूल की नामांकन प्रक्रिया में कोई सार्थक अन्तर नहीं है, जबकि अधिनियम के बाद की स्थिति में नामांकन प्रक्रिया में कुछ कमी दर्ज की गई।

### संदर्भ सूची

1. खान, ए०आर० (2005), जीवन कौशल शिक्षा, अजमेर: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पृष्ठ संख्या 14
2. गुप्त, नत्थूलाल (2000), मूल्य परक शिक्षा और समाज, नई दिल्ली: नमन प्रकाशन
3. गौड, अनिता (2005), बच्चों की प्रतिभा कैसे निखारे, नई दिल्ली: राज पाकेट बुक्स, पृष्ठ संख्या 14
4. चतुर्वेदी, त्रिभुवननाथ (2005), पारिवारिक सुख के लिए है: किशोर मन की समझ, नई-दिल्ली: श्रीविजय इन्द्र टाइम्स, अंक-8, पृष्ठ संख्या 25
5. चौबे, सरयू प्रसाद (2005), शिक्षा मनोविज्ञान, मेरठ: इंटरनेशनल पब्लिकेशन हाऊस, पृष्ठ संख्या 184
6. चौहान, एस०एस० (1996), सर्वांगीण बाल विकास, नई दिल्ली: करोल बाग, आर्य बुक डिपो, पृष्ठ संख्या 591